न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक 50–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 31–12–2015 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद, प्रकरण क्रमांक 85/अपील/2011–12 ।

....

शेरसिंह आत्मज श्री सबलसिंह राजपूत
निवासी खरतलाय तहसील टिमरनी जिला हरदा

.... आवेदक

विरूद्ध

राजेन्द्र आ0श्री आत्माराम बलाही,
निवासी खरतलाय तहसील टिमरनी जिला हरदा

.... अनावेदक

....

श्री संदीप दुबे, अभिभाषक–आवेदक

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/10/16 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–12–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा तहसीलदार टिमरनी के समक्ष संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम खरतलाय स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 141/7, 142/7 व 142/14 कुल रकबा 1.347 हेक्टेयर है इसमें से 1.45 एकड़ पर अनावेदक द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया है, अतः अतिक्रमण हटाये जाने के आदेश पारित किये जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 08/अ–70/2009–10 दर्ज कर दिनांक